

अनुसूची-1

52

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की गई है।	जुलाई, 2019 से दिसम्बर 2019 तक का औसत मूल्य सूचकांक वृद्धि (५ - ४)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महँगाई की अतिरिक्त राशि	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि देनी होगी।	तिथि जब से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
१	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -1879 दिनांक- 24.10.19	301	324 =23 विन्दु अर्थात <u>23 X 100</u> 301 = 7.64 % की वृद्धि	324-301 =23 विन्दु अर्थात <u>23 X 100</u> 301 = 7.64 % की वृद्धि	क) रु० 274.81 पर रु० 20.99 प्रतिदिन ख) रु० 287.90 पर रु० 21.99 प्रतिदिन ग) रु० 379.51 पर रु० 28.99 प्रतिदिन घ) रु० 438.39 पर रु० 33.49 प्रतिदिन	दिनांक- 01.04.2020 से देय
२	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						<u>मासिक</u>
३	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदैव				क) रु० 7145.06 पर रु० 545.74 प्रतिमाह ख) रु० 7485.40 पर रु० 571.74 प्रतिमाह ग) 9867.26 पर रु० 753.74 प्रतिमाह घ) रु० 11398.14 पर रु० 870.74 प्रतिमाह	
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदैव					
५	डिस्टीलरी के नियोजन	तदैव					
६	पोट्रीज के नियोजन	तदैव					
७	बेकरीज एवं कान्फकेशन के नियोजन	तदैव					
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदैव					

53/1

1	2	3	4	5	6	7	8
१	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
११	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१४	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१५	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१८	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१९	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२१	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२३	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

३३

1	2	3	4	5	6	7	8
२६	फिशरीज़ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२७	खादी ग्रामोद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२९	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३२	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३३	अबरक़ कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३६	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

253

1	2	3	4	5	6	7	8
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४६	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५०	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५१	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५३	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५४	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

2538

1	2	3	4	5	6	7	8
५५	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५७	ढलाई(फकुण्डी उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६२	मिनरल ग्राइंडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६५	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६६	मोटर बाड़ीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६७	मेस, कैटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६८	चार्ट्ड/कॉस्ट अक्कन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

८५३

1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिना० १९७६ से आच्छादित नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डब्ल्यू०-२०७९/२०१०, श्र०ना० ९१३) राँची, दिनांक ०३.०९.२०२०

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

२३/०२/१५/२०२०

सरकार के अवर सचिव।

Schedule-I

517

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July, 2019 to December, 2019 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date which addition V.D.A. payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1879 Date— 24-10-19	301	324	324-301 =23 Or <u>23 x100</u>	(a) On Rs. 274.81 Rs. 20.99 (b) On Rs. 287.90 Rs. 21.99 per day per day	From 01.04.202
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-			301 =7.64 %	(c) On Rs. 379.51 Rs. 28.99 per day per day	
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-				(d) Rs. 438.39 and above Rs. 33.49 per day	
4	Cold Storage	-Do-				Monthly	
5	Distilleries	-Do-				(a) On Rs. 7145.06 Rs. 545.74	
6	Potteries	-Do-				(b) per month	
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-				(c) On Rs. 7485.40 Rs. 571.74 per month	
						(d) On Rs. 9876.26 Rs.753.74 per month	
						(e) Rs. 11398.14 and above Rs.870.74 per month	

Enr

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-						
9	Aluminum Industry	-Do-						
10	Khandsari Industry	-Do-						
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-						
12	Soap Making Industry	-Do-						
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-						
14	Asbestos Cement factory	-Do-						
15	Glass Sheet Industry	-Do-						
16	Gun factory	-Do-						
17	Religious and Social Industry	-Do-						
18	Paper Industry	-Do-						
19	Laundry and Washing	-Do-						
20	Hosieries Manufacturing	-Do-						
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-						
22	Manufacture of leather goods	-Do-						
23	Wood work and Furniture	-Do-						
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-						
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-						
26	Fisheries	-Do-						
27	Khadi and Village Industry	-Do-						
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-						
29	Hard Coke Oven	-Do-						

9
2 ✓

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-						
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-						
32	Printing Press	-Do-						
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-						
34	Handloom Industry	-Do-						
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design	-Do-						
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-						
37	Any shop or Establishment	-Do-						
38	Public Motor Transport	-Do-						
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-						
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-						
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	-Do-						
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-						
43	Auto Mobile Engineering	-Do-						
44	Cinema Industry	-Do-						
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-						
46	Tailoring Industry	-Do-						
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-						
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-						
49	Plastic Industry	-Do-						

ESV

0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-						
51	Employment in Agriculture	Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Book Binding Industry	Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	-Do-						
54	Electronics Industry	-Do-						
55	Plywood Industry	-Do-						
56	Foundry Industry	-Do-						
57	Biscuit Industry	-Do-						
58	Coal Briquette Industry	-Do-						
59	Private Security Agency	-Do-						
60	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	-Do-						
61	Mineral Grinding Industry	-Do-						
62	Employment of Sweeping and Cleaning	-Do-						
63	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	-Do-						
64	Employment in Motor garages and workshops	-Do-						
65	Employment of Motor Body Building.	-Do-						
66	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-						
67	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.	-Do-						
68	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-						
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-						

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....912.....Ranchi, Dated ..03.09.2020

By order of the Governor of Jharkhand,

9/3/2020
20/9/2020
Under Secretary to Government

अधिसूचना

एस० ओ०.....

दिनांक 03.09.2020

अधिसूचना का अँग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खण्ड-3 के अंदर अँग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-२/ एम०डब्ल०-२०७१/२०१०, श्र० नि० 913) राँची, दिनांक 03.09.2020

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

23/09/2020
सरकार के अवर सचिव।

NOTIFICATION

S.O...../

dated

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
11	Chemical Pharmaceutical Industry	July, 2019	319
12	Soap Making Industry	August, 2019	320
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	September, 2019	322
14	Asbestos Cement factory	October, 2019	325
15	Glass Sheet Industry	November, 2019	328
16	Gun factory	December, 2019	330
17	Religious and Social Industry	Total	1944
18	Paper Industry	Average	<u>1944 = 324</u> 6
19	Laundry and Washing	Revised/fixed price index no. on 24.10.2019	=301 Point
20	Hosieries Manufacturing		= 324-301 =23 Point
21	Manufacture of Sindur and Rang	<u>23x100</u>	
22	Manufacture of leather goods	301	= 7.64% Percentage Increase

(528)

23	Wood work and Furniture
24	Ice-cream and Cold drink
25	Petrol and Diesel Pump
26	Fisheries
27	Khadi and Village Industry
28	Private Ferries and L.T.C.
29	Hard Coke Oven
30	Private Hospital, Nursing
31	Construction or maintenance of Road or building
32	Printing Press
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)
34	Handloom Industry
35	Manufacture of Gold Articles of aesthetic design
36	Refractories, Fire bricks, ceramic Industry
37	Any shop or Establishment
38	Public Motor Transport
39	Any University, Education, Research or Cultural Institution
41	Any Woolen, Carpet making of Shawl weaving Establishment
42	Dairies and Poultry Farms
43	Auto Mobile Engineering
44	Cinema Industry
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills
46	Tailoring Industry
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry
49	Plastic Industry
50	Cement, Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry
51	Employment in Agriculture
52	Book Binding Industry
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)

(53)

54	Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory
55	Electronics Industry
56	Plywood Industry
57	Foundry Industry
58	Biscuit Industry
59	Coal Briquette Industry
60	Private Security Agency
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)
62	Mineral Grinding Industry
63	Employment of Sweeping and Cleaning
64	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots
65	Employment in Motor garages and workshops
66	Employment of Motor Body Building.
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs
68	Employment in Chartered/Costs accounts, auditors, tax consultancy and Architect.
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.
71	Employment in Electricity Generator and supply
72	Employment in Decoration of Pandal etc.
73	Grinding and crushing of Mineral ore.
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.
75	Computer Coaching Institute etc.
76	Employment of Mobile Tower etc.
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments

and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December, 2019, which is 2nd half of 2019, will be payable from 01.04.2020

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 912 Ranchi, Dated 03.09.2020]

By Order of the Governor of Jharkhand,

2538
02/09/2020

Under Secretary to Government

जापांक -2/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....913.....राँची, दिनांक....03.09.2020

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2538
02/09/2020

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-2/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....913.....राँची, दिनांक....03.09.2020

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2538
02/09/2020

सरकार के अवर सचिव।

जापांक-2/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....913.....राँची, दिनांक....03.09.2020

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला / चण्डीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, राँची/ निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

2538
02/09/2020

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

एस0ओ0

दिनांक 03.09.2020

(53)
 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(11 का 1948) की धारा-3 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं.	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीयउपभक्ता मूल्य सूचकांक(आवधि वर्ष 2001=100)
१	२	३	४
१	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2019	319
२	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2019	320
३	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, 2019	322
४	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, 2019	325
५	डिस्टीलरी के नियोजन	नवम्बर, 2019	323
६	पाट्रीज के नियोजन	दिसम्बर, 2019	330
७	बेकरीज एवं कान्फेशन के नियोजन	कुल	1944
८	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	६ माह का औसत	1944 = 32
९	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दु 301 324-301 = 23 बिन्दु प्रतिशत वृद्धि 23x100 301 = 7.64 % की वृद्धि	
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन		
११	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
१३	सीमेंट ग्री-स्टेट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
१४	एसबेस्ट्रेस सीमेंट कारखाला के नियोजन		

८३

530

१७	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन
१८	पेपर उद्योग के नियोजन
१९	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन
२१	सिंटुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन
२३	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स के नियोजन
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन
२६	फिशरीज के नियोजन
२७	खादी ग्रामोदयोग के नियोजन
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन
२९	हार्ड कोक भट्ठा के नियोजन
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं किलनिक्स के नियोजन
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन
३२	मुद्रणालय के नियोजन
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन
३६	रिफैक्ट्रीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन
४५	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन
४६	सिलाइ उद्योग के नियोजन

253

४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्र्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्र्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन
५०	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन
५१	कृषि नियोजन
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन
५३	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक
५४	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन
५५	इलेक्ट्रोनिक उद्योग के नियोजन
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन
५७	ढलाई(फऊण्ड्री उद्योग) के नियोजन
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन
६२	मिनरल ग्राईंडिंग के नियोजन
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन
६५	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन
६६	मोटर बाईबिल्डिंग के नियोजन
६७	मेस, कैन्टीन एवं क्लब के नियोजन
६८	चार्ट्ड/कॉस्ट अक्यून्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट , निजी स्कूल आदि के नियोजन
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन
७३	ग्राईंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन

२३

७६	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम १९७६ से आच्छादित नियोजन

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2019 (वर्ष 2019 का द्वितीय अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- 01.04.2020 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-२/ एम०डब्लू०-२०७१/२०१०, श्र० निं०.....९१२..... राँची, दिनांक...०३.०९.२०२०

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

*२५३८
०२/११/२०२०*
सरकार के अवर सचिव।